कार्यालय हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण, हरिद्वार

पत्रांकः 2924 /प्रशा0 2(क) 22/87/2019–20 दिनांकः 05/03/ 2020

01. समस्त सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता/मानचित्रकार/सर्वेयर
02. पंजीकृत समस्त अभियन्ता/मानचित्रकार

हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण,
हरिद्वार।

आयुक्त दिव्यांगजन उत्तराखण्ड, कार्यालय/न्यायालय आयुक्त दिव्यांगजन उत्तराखण्ड के पत्र संख्या 399/आ0दि0ज0/2019–20 दिनांक 13 फरवरी 2020 एंव उक्त के साथ संलग्न पत्र संख्या 239 दिनांक 03.10.2017, जोकि राज्य में निर्मित होने वाले आवासीय भवनों/व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को दिव्यांगजनों हेतु निर्धारित मानकों के अनुसार बाधारहित बनाये जाने के सम्बन्ध में है, की छायाप्रतियां संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करते हुए अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

सचिव
हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण,
हरिद्वार

प्रतिलिपिः

1. उपाध्यक्ष, हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य वित्त अधिकारी, हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण को सूचनार्थ।
3. अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता को सूचनार्थ।
4. समस्त सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता/ मानिचत्रकार / सर्वेयर/ प्राधिकरण अधिवक्ता/तहसीलदार को अनुपालनार्थ।
5. प्रशासनिक अधिकारी/वरिष्ठ सहायक को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. श्री बृजेश उपाध्याय, सिस्टम एडमिनीस्ट्रेटर को इस निर्देश के साथ कि उक्त आदेश को प्राधिकरण की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

सचिव

पता : 12 तिलक रोड, देहरादून।
दूरभाष संख्या : 0135-2727981
Email : cduttarakhand@gmail.com

उत्तराखण्ड सरकार

कार्यालय/न्यायालय आयुक्त दिव्यांगजन उत्तराखण्ड

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 80 के अन्तर्गत

२५७२
१९-२-२०२०

सेवा में,

1. **सचिव,**
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

2. **सचिव,**
दून घाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

3. **सचिव,**
हरिद्वार विकास प्राधिकरण,
हरिद्वार।

4. **सचिव,**
भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

पत्रांक : 395 /आ0दि0ज0/2019-20 **दिनांक : 13 फरवरी, 2020**

विषयः— राज्य में निर्मित होने वाले आवासीय भवनों/व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को दिव्यांगजनों हेतु निर्धारित मानकों के अनुसार बाधारहित बनाये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा-45 तथा भारत सरकार के सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय/आवासीय भवनों/व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को दिव्यांगजनों हेतु बाधारहित बनाये जाने का प्राविधान किया गया है। इस सम्बन्ध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार द्वारा handbook on barrrier free and accessibility निर्गत की है जो भारत सरकार की वेबसाईट : http://cpwd.gov.in/Publication/Handbookon Barrier.pdf से डाउनलोड की जा सकती है।

A.O.
Secretary 19/02/2020

सचिव आवास विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 888/V-2013-55(आ0)/2006-टी0सी0 दिनांक 12.06.2015 द्वारा समस्त जनोपयोगी भवनों तथा सार्वजनिक सुविधा स्थलों को दिव्यांगजनों की आवश्यकतानुसार अवरोधमुक्त बनाये जाने हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। उक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय/न्यायालय के पत्र संख्या 239/आ0दि0ज0/ 2017-18 दिनांक 03-10-2017 द्वारा भी अनुरोध किया गया है **(छायाप्रति संलग्न)**।

Sh. Rohit
22/02/2020
A.O.

अतः अनुरोध है कि राज्य में निर्मित होने वाले शासकीय/अशासकीय/आवासीय भवनों/व्यावसायिक प्रतिष्ठानों व अन्य निजी संस्थानों के भवनों के मानचित्र दिव्यांगजनों हेतु निर्धारित मानकों को ध्यान में रखते हुए ही पास किये जायें ताकि भारत सरकार के उक्त अधिनियम के अनुसार दिव्यांगजनों हेतु बाधामुक्त वातावरण तैयार हो सके तथा अपने क्षेत्राधिकार स्थित समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठानों/ग्रुप हाउसिंग/शासकीय व अर्द्धशासकीय भवनों को दिव्यांगजनों हेतु बाधारहित बनाने के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को दिनांक 13.03.2020 तक प्रत्येक दशा में अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(मेजर योगेन्द्र यादव)
आयुक्त
दिव्यांगजन उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार

पता : 12 तिलक रोड, देहरादून।
दूरभाष संख्या : 0135-2727981
Email : cduttarakhand@gmail.com

कार्यालय / न्यायालय आयुक्त दिव्यांगजन उत्तराखण्ड

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 79 के अन्तर्गत

सेवा में,

1. **सचिव**
आवास विभाग
उत्तराखण्ड शासन।

2. **सचिव**
अवस्थापना विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

पत्रांकः 233 **/आ0नि0ज0/2017–18** **दिनांक** 03 **अक्टूबर, 2017**

विषयः— **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार द्वारा निर्गत HANDBOOK ON BARRIER FREE AND ACCESSIBILITY व सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के मानकों के अनुसार कार्यालय भवनों को सुगम्य बनाये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार द्वारा निर्गत HANDBOOK ON BARRIER FREE AND ACCESSIBILITY व अपने पत्र संख्या 888/V–2013–55(आ0)/2006–टी0सी0 दिनांक 12.06.2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य के जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय व केन्द्रीय स्तरीय कार्यालय भवनों को दिव्यांगजनों हेतु सुगम्य बनाये जाने के मानक उपलब्ध कराये हैं।

अतः सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रेषित HANDBOOK ON BARRIER FREE AND ACCESSIBILITY जो कि भारत सरकार की वेबसाईट http://cpwd.gov.in/Publication/HandbookonBarrier.pdf से भी डाउनलोड की जा सकती है तथा उपरोक्त पत्र के साथ संलग्न मानकों के आधार पर दिव्यांगजनों हेतु राज्य के जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय व केन्द्रीय स्तरीय कार्यालय भवनों को सुगम्य बनाये जाने हेतु उचित निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही की एक प्रति कार्यालय को भी प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डा. राम बिलास यादव)
आयुक्त
दिव्यांगजन उत्तराखण्ड

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2— **अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।**
3— **सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की कृपया उपरोक्त विषय सक्षम स्तर के संज्ञान में लाना चाहें।**

(डा. राम बिलास यादव)
आयुक्त
दिव्यांगजन उत्तराखण्ड